न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – रेखा गुर्जर, आर ए एस

मुकदमा नम्बर 232 / 2022राजस्व प्रार्थनापत्र

01 अशोक कुमार पुत्र श्री चन्दनमल जैन आंयु वयस्क निवासी– देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

—— प्रार्थी

बनाम

01 नारायण लाल सालवी पुत्र श्री देवा सालवी आयु वयस्क निवासी– रारेडी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02 हिम्मत लाल पुत्र श्री देवी लाल चावला आयु वयस्क निवासी– मोटा का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

03 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 129,131, 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मुकेश कुमार तंवर —अधिवक्ता वि.सं. 1 व 2
3. पेरोकार सरकार —— उपस्थित

:: आदेश :: **दिनांक 09.02.2026**

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 129, 131,136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया, जिसके साथ एक प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन का इस आशय का पेश किया कि सरहद दन्तेड़ी पटवार हल्का धुंवाला (क) भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1205 / 87 रकबा 0.9105 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर उक्त आराजी जो कि राजस्व नक्शे मे तरमीम है, जिसका दिनांक 23 / 03 / 2022 को पटवार हल्का द्वारा नक्शा जारी किया गया है, उसी अनुसार मौके पर काबिज है। दिंनाक 29 / 03 / 2022 को प्रार्थी द्वारा ऑन लाईन जमाबंदी व नक्शे की नकल प्राप्त की तो जानकारी मे आया कि ऑन लाईन नक्शे मे पटवार हल्का के यहां राजस्व नक्शा मे उक्त आराजी नम्बर 1205 / 87 तरमीम है, उस अनुसार तरमीम नही होकर गलत तरमीम है। जिसे राजस्व नक्शा पटवार हल्का के यहां मौजूद है, उसी अनुसार ऑन लाईन नक्शे मे तरमीम की जाना आवश्यक है। राजस्व कर्मचारीयो को भी पटवार हल्का के यहां मौजूद राजस्व नक्शे अनुसार ही ऑन लाईन तरमीम की जानी थी, लेकिन ऑन लाईन गलत रूप से तरमीम की है, जिसे दुरूस्त करायी जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा उक्त तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थनापत्र पेश किया,' इसके पश्चात विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की नियत मे फितुर पैदा हो गया व विपक्षी संख्या 01 एक एवं 02 गलत तरमीम की आड़ मे प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा कर रहा है व जबरन प्रार्थी को बेदखल कर अवैध निर्माण करने पर आमादा है। दिनांक 08 / 09 / 2022 को भी जबरन मौके पर आया व प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा किया व जबरन निर्माण करने की धमकी दी। विपक्षी संख्या 01 एवं 02 जबरन उक्त गलत तरमीम की आड़ मे मौके पर प्रार्थी को बेदखल करने व अवैध निर्माण करने पर आमादा है। यदि विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही फरमायी गयी व विपक्षीगण प्रार्थी को गलत तरमीम की मे प्रार्थी को मौके से बेदखल कर देगे व किसी प्रकार का निर्माण कर देगे तो व प्रार्थी जो कि कृषि भूमि पर आश्रित है, उसके भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। इस कारण से विपक्षीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है [धा]रा 129,131, 136 लैण्ड़ रेवेन्यू एक्ट के प्रार्थनापत्र के निस्तारण मे समय लगने की संभावना है व विपक्षी [ग]लत तरमीम की आड़ मे प्रार्थी को जबरन मौके से बेदखल करने व जबरन अवैध खनन करने पर आमा[दा] । प्रार्थी को बेदखल करने पर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से विपक्षीगण को ज[रिये नि]षेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है कि विपक्षीगण प्रार्थी को सरहद दन्तेडी पटवार हल्का धुंवा[ला (क]) भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1205 / [87 रक]बा 0.9105 हैक्टयर की भूमि जो कि ऑनलाईन मे ,गलत रूप से तरमीम होने व विपक्षी संख्या 01 एव[ं]

उपखण्ड अधिका[री]
सहायक कलक्[टर]

द्वारा विपक्षी संख्या 01 को आराजी नम्बर 1291/87 को प्रार्थी की भूमि की जगह गलत तरमीम कराने की आड़ मे प्रार्थी को जबरन बेदखल नही करे व न ही किसी अन्य से कराये व किसी प्रकार का निर्माण आदि नही करे व विपक्षीगण आराजी नम्बर 1291/87 की मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश नही करने से जवाब बन्द किया गया व प्रार्थनापत्र खारीज करने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा दोनो पक्षकारो की भू रूपान्तरण पत्रावली पेश की जिसे शामिल पत्रावली की गई

उभय पक्षो के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, व प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मामले मे प्रार्थी की तरमीम व संपरिवर्तनशुदा भूमि की जगह विपक्षी की भूमि गलत तौर पर तरमीम हो संपरिवर्तन होने से तरमीम दुरूस्ती के प्रकरण के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा विधिवत तरमीम होने व विपक्षी रेकार्डेड खातेदार होने एवं विपक्षी संख्या 01 एवं 02 ने नारायण पिता हीरा एवं हरिया पिता हीरा से क्रय कि गई क्रय शुदा भूमि आवंटन एवं सुपुर्दगीनामा अनुसार काबीज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है साथ ही प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 एवं 02 के मध्य आपसी सहमति से प्रार्थी को 50 फीट रास्ता दिया एवं सहमति के आधार पर तरमीम संशोधन करवाया गया एवं उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग किया जा रहा है। इस कारण अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र को खारीज करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी संख्या 01 जो कि रेकार्डेड खातेदार है व संपरिवर्तनशुदा भूमि है। इसलिए विपक्षीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी की जाना उचित नही पाती हूँ। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धांरा 129, 131, 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मे प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र सारहीन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 09.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा [illegible]र)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)